न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई /98/ 2022

श्री सोमवीर सिंह एडवोकेट पुत्र मेंहदीलाल कोर्ट कैम्परा कुम्हेर जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

1–प्रभारी अधिकारी सतर्कता अति० जिला कलेक्ट्रेट शहर भरतपुर
2–प्रभारी अधिकारी लोकसेवा अनुभाग कलेक्ट्रेट,भरतपुर
3–उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर जिला भरतपुर

..............रेस्पो०

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

——————

आदेश **दिनांक 30.12.2022**

अपीलार्थी श्री सोमवीर सिंह एडवोकेट पुत्र मेंहदीलाल कोर्ट कैम्पस कुम्हेर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, 1–प्रभारी अधिकारी सतर्कता अति० जिला कलेक्ट्रेट शहर भरतपुर, 2–प्रभारी अधिकारी लोकसेवा अनुभाग कलेक्ट्रेट,भरतपुर, 3–उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर जिला भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 22 / 941–43 दिनांक 15.11.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी 1–प्रभारी अधिकारी सतर्कता अति० जिला कलेक्ट्रेट शहर भरतपुर, 2–प्रभारी अधिकारी लोकसेवा अनुभाग कलेक्ट्रेट,भरतपुर, 3–उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपरोक्त लोक सूचना अधिकारीयों से प्राप्त जबाब को शामिल पत्रावली किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से प्राप्त जबाब एवं आपको लिखे गये पत्र क्रमांक / 843 दिनांक 14.10.2022 जिसका आपने भी अपनी अपील में इसका उल्लेख किया है के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त पत्र में लोक सूचना अधिकारी ने सूचना से सम्बन्धित कुछ जानकारी उपलब्ध कराने के

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

लिये आपको लिखा है, अतः इस सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एस.डी.ओ.कुम्हेर कार्यालय में किसी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर चाही गई जानकारी उपलब्ध करादें तथा कार्यालय में संधारित उपलब्ध रिकार्ड में चाही गई सूचना को चिन्हित करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध कराई जासके।

इसी प्रकार आप द्वारा लोक सूचना अधिकारी रेस्पो0 नम्बर 1 प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने का उल्लेख किया है, इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट ने अपने जवाब पत्र क्रमांक/ सर्तकता/2614 दिनांक 19.11.2022 का एवं उसके साथ फोटो प्रति पत्र क्रमांक/1856 दिनांक 14.10.2022 जो कि आप को लिखा गया है के अवलोकन से जाहिर है कि आप द्वारा चाही गई से सम्बन्धित को प्रार्थना पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ है तो उससे सम्बन्धित सूचना उपलब्ध किस प्रकार उपलब्ध कराई जा सकती है, फिर भी इस सम्बन्ध में यदि आप के ज्ञान में अनुभाग में सूचना है, तो आप से अपेक्षा की जाती है कि आप किसी भी कार्यालय दिवस में अन्दर 10 दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना चिन्हित करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

इस प्रकार लोक सूचना अधिकारीयों से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर है आया कि अपीलार्थी को सूचना से सम्बन्धित जानकारीयों से सूचित किया गया है। इसी प्रकार लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारीयों को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वे प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा वांछित सूचना चिन्हित किये जाने पर निशुल्क उपलब्ध कराई जावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर